



HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

#MISSIONSHAKTI



मिशन शक्ति अभियान फेस-5.0 के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों के आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिंग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को **10 वर्ष** का सश्रम कारावास व **15,000/-रुपये** के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए **आज दिनांक 11.11.2025** को मा० न्यायालय द्वारा नाबालिंग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 03.08.2020 को राजू उर्फ राजकुमार त्यागी पुत्र कान्तीप्रसाद निवासी ग्राम नंगौला थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिंग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु०अ०सं० 476/2020 धारा 363, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 29.08.2020 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- आज दिनांक 11.11.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट- प्रथम हापुड़ द्वारा **10 वर्ष** का सश्रम कारावास व **15,000/- रुपये** के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्रीमति हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ०नि० श्री राजीव सिंह पैरोकार म०ह०का० मधु व कोर्ट मोहर्रिं है०का० प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।

